न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 2021/51

प्रताप पुत्र तनसुख जाति जाट निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. गंगादत्त
2. मोहनलाल

} पि0 छबीलदास जाति ब्राहम्ण निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

3. हरदत्त पुत्र बुधराम जाति ब्राहम्ण निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। (फौत)

3/1 रोहताश पुत्र हनुमान पुत्र हरदत्त जाति ब्राहम्ण निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

3/2 रोहताश पुत्र हनुमान पुत्र हरदत्त जाति ब्राहम्ण निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

3/3 बाला पुत्री हनुमान पुत्र हरदत्त जाति ब्राहम्ण निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

3/4 सतवीर पुत्र हनुमान पुत्र हरदत्त जाति ब्राहम्ण निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

3/5 हरीराम पुत्र हरदत्त जाति ब्राहम्ण निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

3/6 कृष्ण पुत्र हरदत्त जाति ब्राहम्ण निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

3/7 राधेश्याम पुत्र हरदत्त जाति ब्राहम्ण निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

3/8 रामदेई पुत्री हरदत्त जाति ब्राहम्ण निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

3/9 घनश्याम पुत्र हरदत्त जाति ब्राहम्ण निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

3/10 जीतू पुत्री चन्द्रो पुत्री हरदत्त जाति ब्राहम्ण निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

3/11 औम प्रकाश पुत्र चन्द्रो पुत्री हरदत्त जाति ब्राहम्ण निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:02:25 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

3/12 हेतराम पुत्र हरदत्त जाति ब्राहम्ण निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

4. कमला पुत्री मामचंद पत्नी रामसिंह जाति जाट हाल आबाद निवासी शेपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
5. मनफूल दत्तक पुत्र गुगन जाति ब्राहम्ण निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
6. हेतराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।(फौत)

6/1 तारावती पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

6/2 रामेश्वरलाल पुत्र हेतराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

6/3 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र हेतराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

6/4 खजानी पुत्री हेतराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

6/5 जयपुकाश पुत्र हेतराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

7. अमरसिह पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

8. हेतराम
9. जयवीर उर्फ झांबर
10. भीम
11. रोशनी

पि0 तनसुख जाति जाट साकिन शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

विरूद्ध निर्णय व डिक्री द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा।

निर्णय व डिक्री दिनांक 05.12.2002, प्र. सं. 92/2001

अनवान हरदत्त बनाम सरकार आदि

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:02:25 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितिः—

श्री लोकेश कुमार शर्मा, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री संजय भाटी अभिभाषक रेस्पोडेंट

श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक 07.03.22

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट सं0 1, 2 व 3/1 से 3/12 के पूर्वजों ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में इस्तकरारहक का वाद पेश किया जिसमें कथन किया कि चक 16 ए.एम.एस. की मु. नं. 51 की 1, 10, 11, 19 व 20 कुल 5 बीघा वादी नं. 1 व किला नं0 2 ता 4, 7 ता 9 व 12 ता 18 कुल 13 किला वादी नं0 2 व 3 संयुक्त खातेदार कृषि भूमि है। उक्त भूमि में से मु0 नं0 51 के किला नं. 10 व 20 प्रतिवादी नं0 2 व इसी मु0 के किला नं0 15, 16 प्रतिवादी नं0 3 के नाम दर्ज कर दिये व शेष भूमि को राजस्व रिकार्ड में आराजी राज दर्ज कर दिया। राजस्व रिकार्ड में वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि दर्ज की जाकर मु0 नं0 48 की 18 बीधा भूमि वादीगण के नाम दर्ज कर दी। जबकि इस भूमि पर वादीगण का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। वादीगण ने उपरोक्त भूमि से वादीगण को नाम कलमजन करने व मु0 नं0 51 के किला नं. 10 व 20 से प्रतिवादी नं0 2 व किला नं0 15, व 16 से प्रतिवादी नं0 3 का नाम कलमजन किये जाने एवं राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करने का अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किये। सही तथ्य यही है कि हरदत्त के पिता श्री बुधराम के द्वारा चक 16 ए.एम.एस के मु. नं. 50 की किला नं. 4, 5, 6, 7 व 14,17 कुल 8 बीघा भूमि जो अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 8 ता 11 के पिता तनसुख को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र विक्रय की थी को ना दर्शित करते हुए वाद प्रस्तुत कर दिया एवं उनके पुर्वज बुधराम अपने जीवनकाल में विक्रित भूमि पर हरदत्त का कब्जा काश्त ना होने के आधार पर दावा में जो अनुतोष चाहा गया है में सें तनसुख द्वारा क्रय की गई भूमि मु0 नं0 50 के किला नं. 4, 5, 6, 7 व 14 ता 17 को आराजी राज दर्ज किये जाने को कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अपीलाण्ट के पूर्वज द्वारा खरीदशुदा भूमि जिसका नामान्तरण भी तनसुख के नाम से दर्ज था में से मु0 नं0 50 के किला नं. 4, 5, 6, 7 को आराजी राज करन का आदेश कतई विधि विरूद्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:02:25 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

स्व0 श्री बुधराम से खरीदशुदा भूमि का अभिलेख में श्री तनसुख के नाम 160 हिस्सा पृथक से दर्ज था इसलिए जब श्री तनसुख खरीदशुदा भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज था तो उनके हिस्से की भूमि किसी भी सूरत में आराजी राज दर्ज किये जाने का आदेश किसी भी सूरत में पारित नहीं किया जा सकता था। अपीलाण्ट के पूर्वजों को कोई नोटिस कभी प्राप्त नहीं हुआ ना ही उनके द्वारा अपने जीवन में किसी प्रकार के नोटिस प्राप्त होने सम्बन्धित कोई जिक्र अपीलाण्ट से किया। प्रकरण में उनकी तामील फर्जकारी कर दिखाई गई है। अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं था ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट की भूमि आराजी राज दर्ज कर दी गई थी। जिसके लिए अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया था। वाद में तनकीयात कायम की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। अपीलाण्ट के पूर्वजों तामील विधि सम्मत तरीके से करवाई गई थी। उन्होंने अपने जीवनकाल में किसी प्रकार की आपत्ति नही की। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर अपील पेश की है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं उसका सशपथ खण्डन प्रस्तुत नहीं होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण के निर्णय में सहायक दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:02:25 IST
Reason: SelfAttested

8. अधीनस्थ न्यायालय वादीगण के वाद को स[illegible] अन्य भूमि के साथ मु0 नं0 4 ता 10 जो राजस्व रिकार्ड में [illegible]नाम दर्ज [illegible] वादीगण का कब्जा काश्त नही होने के कारण उनका नाम क[illegible]राज दर्ज करने के आदेश दिये हैं। अपीलाण्ट का कथन है कि चक 16 एएमएस की मु0 नं0 50 के किला नं. 4, 5, 6, 7 की भूमि जो हरदत्त के पिता बुधराम द्वारा उनके जीवनकाल में जरिये रजिस्टर्ड

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

विक्रय पत्र दिनांक 21.07.69 से अपीलाट के पिता तनसुख को विक्रय कर दी थी इस कारण इस भूमि को कानूनन आराजी राज दर्ज नहीं किया जा सकता है। अपीलाण्ट के पूर्वज अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर नहीं होने से बैयनामा की प्रति प्रस्तुत नहीं कर सके थे। अपीलाण्ट के उक्त तथ्यों की पुष्टि अपील में प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक 21.07.69 से होती है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट के पिता को बेचान कर दी गई थी। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट के पिता उपस्थित नही होने के कारण अपने कथन न्यायालय के समक्ष नहीं रख सका था। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट को अपने कथन रखने के लिए एक मौका दिया जाना उचित है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

9. अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.12.2002 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.3.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/3/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:02:25 IST
Reason: SelfAttested